2024/82

निर्णय
13.05.2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

नवाब खां बनाम फतेह मोहम्मद आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 176 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06.05.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 13.05.2024 को पेश हो। [signature]	नवाब खां [illegible] [signature]
07.5.2024	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने जरिये वकील [illegible] उपस्थित आकर जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते [illegible] आईन्दा तारीख 9.5.2024 को पेश हो।	[thumb impression] फतेह मोहम्मद, याकूब खां, रफीक [illegible] [thumb impression] [illegible]
9.5.2024	वकुलाए फरीकेन उपस्थित/PO [illegible] पत्रावली [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 13.5.2024 को पेश हो [signature]	
13.5.2024	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] आदि वादी प्रतिवादी की आपसी सहमति के आधार वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण अंकित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जावे। [illegible] बाद तकमील [illegible] हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.16 14:57:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रकिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 176/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

नबाब खां पुत्र फतेह मोहम्मद जाति छिम्पा मुसलमान निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर।

-वादी

बनाम

1. फतेह मोहम्मद पुत्र दुला खां जाति छिम्पा मुसलमान निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राजस्थान।
2. याकुब खान पुत्र फतेह मोहम्मद जाति छिम्पा मुसलमान निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राजस्थान।
3. सकीना बानो पुत्री फतेह मोहम्मद पत्नी सलीम खान जाति छिम्पा मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा,हरियाणा।
4. जरीना बानो पुत्री फतेह मोहम्मद पत्नी हबीब खान जाति छिम्पा मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 17 ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा,हरियाणा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व)रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थितः- श्री सुरेन्द्रकुमार हुड्डा वकील-वादी
श्री धर्मेन्द्र मटोरिया प्रतिवादी सं. 1 ता 5
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 13-05-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 4 सी.एल.डी. के खाता संख्या 15/8 के पत्थर नम्बर 34/3(8) के किला नम्बर 25, पत्थर नम्बर 34/4(9) के किला नम्बर 4/1, 5, 6, 7/1, 13/2, 14/1, 15/1, पत्थर नम्बर 34/11(7) के किला नम्बर 20, 21/2, पत्थर नम्बर 34/12(10) के किला नम्बर 1, 10, पत्थर नम्बर 34/30(34) के किला नम्बर 7, 13/2, 14, 17, 18/1, 23/2, 24, पत्थर नम्बर 34/31(49) के किला नम्बर 3/2, 4, 7, 8/1, 13/2, 14, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 22/2, पत्थर नम्बर 34/32(56) के किला नम्बर 2, पत्थर नम्बर 34/38(35) के किला नम्बर 16, 17/1, 24/2, 25, पत्थर नम्बर 34/39(48) के किला नम्बर 4/2, 5, 6, 7/1, 14/1, 15, 16, 17/1, 24/2, 25/2, पत्थर नम्बर 34/40(57) के किला नम्बर 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14, पत्थर नम्बर 34/47(47) के किला नम्बर 1 इस प्रकार कुल 10.2960 हैक्टेयर कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.05.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.16 14:57:07 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Scanned with OKEN Scanner